उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

पत्रांक – 9671 /चयन/2020–21 दिनांक 25.03.2021

विज्ञप्ति

विज्ञापन वर्ष 2016 की प्रवक्ता हिन्दी की लिखित परीक्षा दिनांक 01 फरवरी, 2019 को सम्पन्न हुई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षत्कार 06 नवम्बर से 10 नवम्बर 2020 तक आयोजित किया गया था। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम–12(8) के अन्तर्गत प्रवक्ता हिन्दी विषय का पैनल चयन बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या 8472/चयन/2020–21 दिनांक 16.01.2021 द्वारा पूर्व में घोषित किया गया था।

साक्षात्कार देने के बाद भी एक अभ्यर्थी का नाम पैनल व मेरिट सूची में नहीं होने के प्रत्यावेदन पर विचार करने के उपरान्त उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार पैनल पुनः तैयार करते हुये संशोधित पैनल, मेरिट सूची तथा कट आफ मेरिट आज दिनांक 25.03.2021 को बोर्ड द्वारा जारी किया गया।

घोषित पैनल के कालम 'SELECTION AS' में जिनके सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) अंकित नहीं है उनके नाम 'रिक्तियों की संख्या से अधिक' के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं, इस श्रेणी के अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाना है। घोषित पैनल कालम 'SELECTION AS' में जिनके नाम के सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) प्रदर्शित है, उनका संस्था आवंटन रिक्तियों की संख्या के अनुरूप उपरोक्त नियमावली, 1998 के नियम–12(10) के अनुसार बोर्ड द्वारा बाद में किया जायेगा।

नियम 12(10) के अन्तर्गत आवंटित संस्था में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहेगा, तो उसके स्थान पर पैनल में उल्लिखित 'रिक्तियों की संख्या से अधिक' के अन्तर्गत अंकित अभ्यर्थियों के नाम में से योग्यता क्रम से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमावली 1998 के नियम 13(3) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(9) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार साक्षात्कार के समय विज्ञापित संस्थाओं की अधिमानता ऑनलाइन भरी गयी थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदित आरक्षण श्रेणी का ही विद्यालय संस्था आवंटन हेतु तत्समय प्रदर्शित किया गया था। अन्तिम परिणाम में कतिपय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित है परन्तु सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता न होने के कारण उनकी अधिमानता अब शून्य है। **इसलिए मात्र आरक्षित श्रेणी (OBC/SC/ST) के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित है, उन्हें सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26.03.2021 से दिनांक 02.04.2021 तक का समय प्रदान किया जाता है। अधिमानता ऑनलाइन भरने का लिंक चयन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.upsessb.org पर उपलब्ध है जिस पर जाकर अभ्यर्थी अपनी अधिमानता भर सकते हैं।**

25-03-2021
(नवल किशोर)
उपसचिव